प्रकरण संख्या 70/2016 बदिया बनाम रावजी

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.11.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भचडिया में आराजी नंबर 239 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादी संख्या 1 से 5 के नाम बतौर खातेदारी में दर्ज थी तथा अपने बाप–दादाओं के समय से उनका कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी में वादीगण के मकान बने होकर उसमें निवास करते हैं एवं शेष भूमि पर पेड़ पौधे व हैण्ड पम्प लगा रखा है। उक्त खसरा नंबर जरिये नामान्तरकरण संख्या 526 दिनांक 17.09.1998 से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुआ एवं प्रतिवादीगण ने नामान्तरकरण संख्या 538 दिनांक 16.09.1998 से उक्त भूमि 3 हिस्सों में विभाजन करा लिया है, जो विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्ती के है, क्योंकि मौके पर प्रतिवादीगण कभी कब्जा नहीं रहा, न ही कभी उनके बाप–दादा का कब्जा रहा है। उक्त नामान्तरकरण वादीगण को बिना सुने स्वीकृत किया गया है, जबकि वादीगण का अपने बाप–दादा के समय से लगभग 50–55 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। अतः वादी को विवादित आराजी नंबर 239 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 16.06.2016 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बहस की कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की बहस सुने बिना एवं बिना राजीनामे में प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित किया है, जबकि अधिनस्थ	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय को दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। अपीलान्ट का कब्जा विवादित आराजियात पर 50–55 वर्षो से होना एवं उनके मकान बना होना दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्ट/वादीगण वाद डिक्री किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण साक्ष्य में नियत था तथा दिनांक 07.05.2016 को प्रकरण में दिनांक 14.07.2016 की पेशी नियत की गयी, किन्तु उक्त दिनांक से पूर्व ही बिना साक्ष्य लिये प्रकरण दिनांक 16.06.2016 को राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर तथा उस पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.01.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:15:43 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर